

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-29102025-267235
SG-DL-E-29102025-267235

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]	दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2025/ कार्तिक 6, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 301
No. 324]	DELHI TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/ KARTIKA 6, 1947	[N. C. T. D. No. 301

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2025

फा0 सं0 1/31/1126/एलसी/स्था0/भर्ती नियम/डीईआई/2022/3650-3653. —गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना फा0 सं0 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 21.04.1984 की अधिसूचना संख्या फा. 2(29)/83-एसII के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद् द्वारा श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “उप-विद्युत निरीक्षक” के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- इन नियमों को “उप-विद्युत निरीक्षक” भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।
- ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **अनुप्रयोग :-** ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।
4. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :-** उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
6. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
7. **बचाव :-** इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	उप-विद्युत निरीक्षक
2.	पदों की संख्या	:	04* (2025) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह-‘क’
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-10 (रुपये 56100-177500/-)
5.	क्या चयन पद है/ गैर चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	अभ्युक्ति : पदोन्नति हेतु दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है :	पदोन्नति : ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रुपये 44900-142400/-) में विभागीय सहायक विद्युत निरीक्षक। टीप :- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) :- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त संगठनों के अधीन अधिकारी, जो : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (रुपये 53100-167800/-) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत प्रदत्त 02 वर्षों की सेवा सहित; अथवा (iii) विभाग के मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रुपये 47600-151100/-) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत प्रदत्त 04 वर्षों की सेवा सहित; अथवा (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रुपये 44900-142400/-) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरांत प्रदत्त 05 वर्षों की सेवा सहित; अथवा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले : i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि; ii. विद्युत अभियांत्रिकी के कार्य में कम-से-कम पांच वर्ष का अनुभव, विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी कार्यशाला या विद्युत के उत्पादन या संचरण या वितरण में, अथवा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत नियमों के प्रशासन में उत्तरदायित्व के किसी पद पर कम-से-कम एक वर्ष का अनुभव हो। (भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।) (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः 03 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) - संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य - अध्यक्ष - मुख्य सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 - सदस्य - संबंधित प्रशासनिक सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 - सदस्य - अथवा - संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो, - सदस्य

		विभागीय स्थायीकरण समिति 1. मुख्य सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0— अध्यक्ष 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव, रा0रा0क्षे0दि0स0 — सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो, — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: पदोन्नति के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अशोक कुमार, सचिव-सह-आयुक्त (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th October, 2025

F.1/31/1126/LC/Estt./Rectt.Rules/DEI/2022/3650-3653.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.27/59-Him (i) dated 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of this Government's Notification No. F.2(29)/83-SII dated 21.04.1984 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Deputy Electrical Inspector** in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement:

- These rules may be called “Deputy Electrical Inspector” Recruitment Rules, 2025.
- They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix. - The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.: The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.

5. Disqualifications: No person,

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons in consultation with UPSC.

7. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I

1	Name of post	Deputy Electrical Inspector
2	No. of Posts	04* (2025) * Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level- 10 Remark: Rs. 56100-177500 in the Pay Matrix
5	Whether selection post/ non-selection post	Selection Post
6	Age limit for direct recruits	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of Probation, if any	2 Remark: Two years for promotee
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Promotion failing which by Deputation
11	In case of recruitment by promotion/ deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	Promotion: Departmental Assistant Electrical Inspector in the Level-7 (Rs. 44900-142400) of Pay Matrix with 05 years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (ISTC): Officers under the Central / State Government / Union Territories / Public Sector Undertakings/ Autonomous organizations who are: a) i. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;

		or ii. with 2 years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level 09 (Rs. 53100-167800) of pay matrix in of pay matrix in the parent cadre or department; or iii. with 4 years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level- 08 (Rs. 47600-151100) of pay matrix in of pay matrix in the parent cadre or department; or iv. with 5 years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-07 (Rs. 44900-142400) of pay matrix in of pay matrix in the parent cadre or department; and b) Possessing following educational and other qualification: i. Degree in Electrical Engineering from a recognized University or Institution; ii. At least five years' experience in the field of Electrical Engineering, of which not less than one year has been spent in an Electrical or mechanical Engineering Workshop or in generation or transmission or distribution of electricity, or in the administration of the Act and Rules thereunder. (The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.) (Period of Deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or another organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)
12	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition	<u>Departmental Promotion Committee (for considering promotion):</u> 1. Chairman/ Member of the UPSC - Chairman 2. Chief Secretary, GNCT of Delhi - Member 3. Administrative Secretary concerned in the Govt. of NCT of Delhi - Member

		or 4. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Govt. of NCT of Delhi – Member. <u>Departmental Confirmation Committee:</u> 1. Chief Secretary, GNCT of Delhi - Chairman 2. Administrative Secretary concerned in the Govt. of NCT of Delhi - Member 3. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Govt. of NCT of Delhi – Member.
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with the UPSC is necessary in case of promotion.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ASHOK KUMAR, Secy.-Cum-Commissioner (Labour)